राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सी–स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांकः– मॉ.प्रकोष्ठ/डी.एल.बी/ 2286-2480 जयपुर दिनांकः– 2/11/18

आदेश

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.23(5)/2/टीएफसी/डीईएस/बीआर/36828–2 दिनांक 17.07.2017 एवं प.23(5)/2/टीएफसी/डीईएस/बीआर/118 दिनांक 13.07.2018 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक में अधिसूचना दिनांक 21.09.2016) 13 वे वित्त आयोग में सांख्यिकी सुदढीकरण के अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में सभी प्रतिष्ठान/व्यवसाय जो पहले से स्थापित है या जो व्यवसायी प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थापित करने की ईच्छा रखते है उनको एक चुनिक " बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर (BRN) प्राप्त करना आवश्यक है, क्योकि इसका मुख्य उद्येश्य विभिन्न एक्टों में पंजिकृत प्रतिष्ठानों/व्यवसायों की एक्ट वार डायरेक्ट्री तैयार करना और राज्य के औद्योगिक एवं व्यवसायिक परिदृश्य तैयार करना इसके साथ ही इस प्रकार विभागीय योजना तैयार करने में सहायक होगें।

इस हेतु राजस्थान राज्य में उद्यमों का एक विशिष्ठ ढांचा विकसित किये जाने के उद्येश्य से राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.09.2017 को अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी हैं तथा बिजनिस रजिस्टर के वेब पोर्टल http:/br.raj.nic.in के द्वारा दिनांक 13.12.2016 से ऑनलाइन बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका हैं।

स्वायत्त शासन विभाग के Rajasthan Rent Control Act 2001, Rajasthan Municipal Act 2009, Rajasthan Urban Street Vendors (Protection of livehood and Regulation of Street Vending) Act 2011 अधिनियम को बिजनिस रजिस्ट्रेशन में समाविष्ट कर लिया गया हैं अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी निकाय में इन अधिनियमों के अन्तर्गत सभी व्यवसायो/प्रतिष्ठानों का पंजिकरण/नवीनीकरण एवं सम्बन्धित कार्यो के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्वीकार करते समय उद्यमियों से आवेदन मे 16 अंको का बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर भी अनिवार्य रूप में समाविष्ट करावें।

संलग्नः– 01. अधिसूचना दिनांकः 16.09.2016 की प्रति।
02. पत्र क्रमांक 119 दिनांक 13.07.2018 की प्रति।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः– मॉं.प्रकोष्ठ / डी.एल.बी / **जयपुर दिनांकः–**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
02. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
03. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, निदेशालय, योजना भवन जयपुर।
04. परियोजना निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग,
    जयपुर / जोधपुर / अजमेर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर / बीकानेर।
07. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
08. सहायक निदेशक (एन.एस.एस) आर्थिक एवं सांख्यिकी, निदेशालय, योजना भवन जयपुर।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(संतोष जैन)
उप निदेशक(सांख्यिकी)